



प्रेस नोटदिनांक 08/06/2021 थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशो के अनुपालन मे तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी बेहट महोदय के निकट पर्यवेक्षण मे गैगस्टर अधिनियम मे धारा 14 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप अधि० मे अभियुक्त आरिफ पुत्र ताहिर निवासी ग्राम कोठडी बहलोलपुर थाना बिहारीगढ सहारनपुर अवैध रूप से धन अर्जित कर बनाये गये मकान के कुर्क करने हेतू रिपोर्ट श्रीमान जिलाधिकारी सहारनपुर को प्रेषित की गई थी जिसमे श्रीमान जिलाधिकारी सहारनपुर के आदेश दिनाँक 20/11/2020 वाद सख्या 15/2020 धारा वाद सख्या 15/2020 धारा 14 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 बनाम आरिफ पुत्र ताहिर निवासी ग्राम कोठडी बहलोलपुर थाना बिहारीगढ सहारनपुर को दिनाँक 20/11/2020 पारित आदेश अभियुक्त आरिफ उपरोक्त का एक मंजिल मकान रकबा 144.54 वर्गमीटर जिसकी अनुमानित कीमत 1936836.00 रुपये जो अभियुक्त आरिफ द्वारा विभिन्न अपराध कारित कर एक सुसगठित गिरोह बनाकर अनुचित रूप से धन इक्कठा कर बनाया गया था जिससे कुर्क करने हेतू श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा तहसीलदार बेहट को प्रशासक नियुक्त किया गया था आज दिनाँक 08/06/2021 को तहसीलदार बेहट के निर्देशन मे मुझ थानाध्यक्ष द्वारा अभियुक्त आरिफ उपरोक्त का मकान कुर्क कर सील किया गया ।

अभि० आरिफ उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:-

- 1-मु०अ०स० 316/2017 धारा 379/411/भादावि व 26/41/42/52 वन अधिनियम
- 2-मु०अ०स० 145/2018 धारा 379/411 भादावि व 26/41/102 वन अधिनियम
- 3-मु०अ०स० 146/2018 धारा 353/307 भादावि 3(2) लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि०
- 4-मु०अ०स० 78/2020 धारा 2/3 गैगस्टर अधि०

कुर्क करने वाली पार्टी के नाम:-

1. तहसीलदार श्री कमलेश कुमार
2. थानाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिहँ थाना बिहारीगढ
3. व०उ०नि० श्री नीरज सिहँ थाना बिहारीगढ
4. उ०नि० श्री सुनील कुमार थाना बिहारीगढ
5. उ०नि० श्री योगेन्द्र सिहँ थाना बिहारीगढ
6. उ०नि० श्री उ०नि० रामवीर थाना मिर्जापुर
7. मय पुलिस बल मय एक प्लाटून पीएसी

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 08-06-2021

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद
पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर बिना मास्क के
अनावश्यक रूप से घूम रहें व्यक्तियों के विरुद्ध की गई
कार्यवाही:-

अवगत कराना हैं कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थाना प्रभारी को अपने-अपने क्षेत्रों में बिना मास्क के अनावश्यक रूप से घूम रहे व्यक्तियों के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाने के निर्देश पूर्व में दिये गये हैं। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण एवं समस्त क्षेत्राधिकारियों के निकट पर्यवेक्षण में समस्त प्रभारी निरीक्षक/थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने नगर/ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाते हुये बिना मास्क के अनावश्यक रूप से घूम रहे व्यक्तियों के चालान किये गये तथा भारी मात्रा में सम्मन शुल्क वसूल किया गया। जनपद पुलिस द्वारा की गई कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत् हैं:-

नगर क्षेत्र/देहात क्षेत्र में की गई कार्यवाही का विवरण:-

➤ बिना मास्क के चालान:-89

➤ वसूला गया सम्मन शुल्क:-18050 /-रुपये

नोट- जनपदवासियों से अपील की जाती है कि जब भी घर से निकलें मास्क का प्रयोग अवश्य करें अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

प्रेस नोट – दिनांक 08-06-2021

थाना जनकपुरी, सहारनपुर द्वारा टॉपटेन/10,000/-रुपये के ईनामी अभियुक्त को अवैध असलहा/कारतूस सहित किया गिरफ्तार:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा ईनामी अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07/06/2021 को थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर भरत वाटिका कालोनी के सामने बन्द पडे निर्माणाधीन मॉल के पास से थाना हाजा का टॉप 10 अपराधी एवं 10 हजार रूपये का ईनामी अभियुक्त वसीम उर्फ माडल जान पुत्र मोबीन निवासी सईद मस्जिद के सामने नई बस्ती खानआलमपुरा थाना जनकपुरी, स0पुर को 01 अदद तमंचा .315 बोर 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना जनकपुरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 252/2020 धारा 307 IPC का वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर 10,000/-रुपये का ईनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध भिन्न भिन्न थानो पर कई अभियोग पंजीकृत है। जिसका आपराधिक इतिहास निम्नवत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- वसीम उर्फ माडल जान पुत्र मोबीन R/O सईद मस्जिद के सामने नई बस्ती खानआलमपुरा PS जनकपुरी स0पुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 अदद तमंचा 315 बोर 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

अभि0 का आपराधिक इतिहास:-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	चालानी थाना
1	7/15	3/5/8 गौवध अधि0 व 332/353 भादवि	जनकपुरी
2	192/15	147/148/149/307/506 भादवि	जनकपुरी
3	30/16	147/452/352/323/504/ 506/307 भादवि	जनकपुरी
4	41/16	3 यू.पी. गुण्डा अधि0	जनकपुरी
5	208/16	452/354ख भादवि	जनकपुरी
6	237/16	110 जी यू.पी. गुण्डा अधि0	जनकपुरी
7	238/16	25 आर्म्स एक्ट	जनकपुरी
8	74/16	3 यूपी गुंडा अधि0	जनकपुरी
9	207/20	307 भादवि	कुतुबशेर
10	208/20	3/25 आर्म्स एक्ट	कुतुबशेर
11	209/20	8/20 एनडीपीएस एक्ट	कुतुबशेर
12	252/20	307 भादवि	जनकपुरी
13	170/21	3/25 आर्म्स एक्ट	जनकपुरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- ❖ प्र0नि0 अवनीश गौतम, थाना जनकपुरी, स0पुर।
- ❖ उ0नि0 बीनू सिंह, थाना जनकपुरी, स0पुर।
- ❖ का0 424 गौरव कुमार, थाना जनकपुरी, स0पुर।
- ❖ का0 1681 पिन्टू सरोहा, थाना जनकपुरी, स0पुर।



प्रेस नोट दिनांक 08/06/21 थाना नकुड जनपद सहारनपुर

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशों निर्देशों के अनुपालन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नकुड महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संदिग्ध व्यक्ति/वांछितों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत श्री किरनपाल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना नकुड के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड पुलिस द्वारा आज दिनांक 08/06/21 को NDPS ACT व EX ACT के अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा० न्यायालय के समक्ष भेजा गया है।

1. उ०नि० देवेन्द्र सिंह मय हमराह HC 207 अशोक कुमार व C 1032 नीटू सिंह द्वारा एक नफर अभि० सोनू उर्फ भीरंड पुत्र इकबाल निवासी मौ० बंजारान कस्वा व थाना नकुड जिला सहारनपुर को 9 ग्राम स्मैक के साथ आसराखेडी मोड से दिनांक 08/06/21 को समय 06.30 बजे गिरफ्तार किया गया। जिस संबंध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 223/2021 धारा 8/21 NDPS ACT पंजीकृत किया गया है।
2. उ०नि० देवेश कुमार मय हमराही कां० 487 अमित कुमार व का० 971 राहुल तोमर द्वारा एक नफर अभि० बीरबल पुत्र कन्टूराम निवासी बहरामपुरा थाना नकुड जिला सहारनपुर को 12 बोतल देशी शराब रसीला सन्तरा हरियाणा मार्का के साथ शीशवाली चौराहे के पास से दिनांक 07/06/21 को समय 20.45 बजे गिरफ्तार किया गया। जिस संबंध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 222/2021 धारा 63 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया है।

अभि० का नाम व पता:-

1. सोनू उर्फ भीरंड पुत्र इकबाल निवासी मौ० बंजारान कस्वा व थाना नकुड जिला सहारनपुर
2. बीरबल पुत्र कन्टूराम निवासी बहरामपुरा थाना नकुड जिला सहारनपुर

बरामदगी:

- 9 ग्राम स्मैक नाजायज
12 बोतल देशी शराब रसीला सन्तरा हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्र०नि० श्री किरनपाल सिंह
2. उ०नि० श्री देवेन्द्र सिंह
3. उ०नि० श्री देवेश कुमार
4. है०कां० 207 अशोक कुमार
5. कां० 1032 नीटू सिंह
6. कां० 487 अमित कुमार
7. का० 971 राहुल तोमर

प्रेस नोट दिनांक 08-06-2021

थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पुलिस द्वारा टॉप-10

अपराधी को नाजायज चाकू सहित किया गिरफ्तार:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के कुशल निर्देशन एवं प्रभारी निरीक्षक थाना को0देहात जनपद सहारनपुर के कुशल नेतृत्व मे अपराध की रोकथाम हेतु आज दिनांक 08.06.2021 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा द्वारा मुखबिर की सूचना पर घुन्ना मोड से मुखबिर की सूचना पर थाने के टाप-10 अपराधी अब्दुल वहाब उर्फ लोटन पुत्र नसीर निवासी ग्राम घानाखण्डी थाना को0देहात, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मु0अ0स0-232/2021 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट में वांछित चल रहा था तथा विस्तृत पूछताछ में अभि0 अब्दुल उर्फ लोटन उपरोक्त द्वारा जंगल ग्राम नगराजपुर में गौकशी करने की घटना कबूल की हैं। अभि0 अब्दुल उर्फ लोटन उपरोक्त के विरुद्ध जनपद में कई अभियोग पंजीकृत हैं। जिसके सम्बन्ध में जानकारी जुटाई जा रही है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1-अब्दुल वहाब उर्फ लोटन पुत्र नसीर निवासी ग्राम घानाखण्डी थाना को0देहात सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

1-01 चाकू नाजायज

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 नन्दकिशोर शर्मा थाना को0देहात सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह सिरोही थाना को0देहात सहारनपुर
3. का0 793 विशेष कुमार थाना को0देहात सहारनपुर
4. का0 258 रोबिन राठी थाना को0देहात सहारनपुर

प्रेस नोट दिनांक 08-06-2021

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा नाजायज चरस सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 07-06-2021 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा रसूलपुर अण्डर बाईपास से अभि० 1-आदिल पुत्र नसीम निवासी गंदेवडा थाना फतेहपुर व 2-इस्तकार पुत्र इन्तजार निवासी रसूलपुर थाना फतेहपुर, सहारनपुर को 200 ग्राम नाजायज चरस सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु०अ०सं० 282,283/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 07-06-2021 को थाना देवबन्द पुलिस द्वारा ग्राम सांपला बक्काल से फुलास अकबरपुर के रास्ते पर से अभि० वसीम पुत्र अमीर हसन निवासी ग्राम थीतकी थाना देवबन्द, सहारनपुर को 20 लीटर शराब खाम सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु०अ०सं० 339/21 धारा 60(1) आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना तीतरों पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 07-06-2021 को थाना तीतरों पुलिस द्वारा कस्बा तीतरों से अभि० राजेन्द्र पुत्र अतर सिंह निवासी मौहल्ला अफगानान कला कस्बा व थाना तीतरों, सहारनपुर को 24 पक्वे देशी शराब यूपी मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना तीतरों पर मु०अ०सं० 79/21 धारा 60 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना नानौता पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 07-06-2021 को थाना नानौता पुलिस द्वारा चमन तिराहा देवबन्द रोड नानौता से अभि० वेदराम पुत्र बलजीत निवासी सूबरी थाना नानौता, सहारनपुर को 20 लीटर शराब खाम सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु०अ०सं० 184/21 धारा 60(1)ख आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना नागल पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 07-06-2021 को थाना नागल पुलिस द्वारा झबरेडा रोड ग्राम बोहडपुर के पास से अभि० राजेश पुत्र सियानन्द निवासी ग्राम खजूरवाला थाना नागल, सहारनपुर को 22 पक्वे देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नागल पर मु०अ०सं० 118/21 धारा 60(1) आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा नाजायज चरस सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 07-06-2021 को थाना चिलकाना पुलिस द्वारा नल्हेडा तिराहे के पास से अभि० 1-इंतजार पुत्र जहूर निवासी बुढनपुर थाना गंगोह, सहारनपुर व 2-मुज्जमिल पुत्र इंतास निवासी ग्राम बसेडा थाना कैराना, शामली को 240 ग्राम नाजायज चरस सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु०अ०सं० 161,162/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

मीडिया/सोशल मीडिया सेल
सहारनपुर।